



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14623

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी - 509 वर्ष 2026

गौरी शंकर यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: संजय सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी पक्ष को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी पक्ष आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में पुनरीक्षण/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि तहसीलदार (न्यायिक), बलिया, जिला बलिया को निर्देश दिया जाए कि वे म्यूटेशन वाद संख्या 7091/2021 (देवनारायण सिंह बनाम रामजी ओझा) और कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202115090307091, धारा 34/35, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत, निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाएं।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निपटारा समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर बिना विवाद वाले उत्परिवर्तन मामले का निपटारा करने का प्रयास करेगा और 90 दिनों की अवधि के भीतर विवादित उत्परिवर्तन मामले का निपटारा करने का प्रयास करेगा। यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए तहसीलदार (न्यायिक), बलिया, जिला बलिया को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त मामले का निर्णय करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेय)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"